संख्या-22/2023/001-120-24-1-2023-2352-2016

प्रेषक,

राहुल सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 27 फरवरी, 2023**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुपूरक बजट के माध्यम से जवाहरपुर 2×660 मेगावाट तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु अंशपूँजी विनियोजन हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के पत्र संख्या-06/उ0नि0लि0/नि0(वित्त), दिनांक 10 जनवरी, 2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुपूरक बजट के माध्यम से शासकीय आय-व्ययक में ऊर्जा विभाग के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्ष 4801-02-190-14-1410-30 में जवाहरपुर 2×660 मेगावाट तापीय विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु अंशपूँजी विनियोजन में कुल प्राविधानित धनराशि रूपये 430,00,40,000/- (रूपये चार सौ तीस करोड़ चालिस हजार मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 100,00,00,000/- (रूपये एक सौ करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण माह फरवरी, 2023 एवं माह मार्च, 2023 में धनराशि रु0 50,00,00,000 करोड़ (रूपये पचास करोड़ मात्र) की दो समान मासिक किश्तों में किया जायेगा।

(2) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता होने पर किया जायेगा।

(3) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण विधिवत चयनित कार्यदायी संस्था को मोबिलाईजेशन अग्रिम के भुगतान की आवश्यकता होने पर किया जायेगा तथा आवश्यकता के दृष्टिगत तिथि की सूचना तत्काल ऊर्जा अनुभाग-1 को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि आहरित कर अनावश्यक रूप से बैंक में नहीं रखी जायेगी।

(4) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि उसी मद में व्यय की जायेगी, जिस परियोजना की स्थापना हेतु स्वीकृत की गयी है।

(5) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाया जायेगा तथा तत्संबंधी बिल ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को प्रतिहस्ताक्षर हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

(7) इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,00,00,00,000 (रुपये एक अरब मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 009 **लेखा शीर्षक** 4801021901410 2x660 मेगावाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु अंशपूंजी विनियोजन **मानक मद** 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-145-X-2022-23-दिनांक:15-2-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

राहुल सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-22/2023/001-120(1)-24-1-2023-2352-2016, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम/(लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (वयय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

राहुल सिंह
विशेष सचिव।